राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

राजस्व लोक अदालतों में 1362 मामलों का हुआ निस्तारण

झालावाड़ 14 जुलाई/ राजस्व लोक अदालत अभियान '' न्याय आपके द्वार '' कार्यक्रम के दौरान सोमवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में मौके पर ही किसानों के राजस्व संबंधी 1053 मामलों का निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों द्वारा 13 जुलाई को ग्राम पंचायत पाटलिया कुल्मी, रमाय दलपत, सेमली हाट, रवासिया, लायफल, सूलिया, बोरबन्द में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में नामान्तकरण के 381 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार खाता दुरस्ती के 416, खाता विभाजन के 94, इजराय के 12, खातेदारी धोषणा के 14, स्थायी निषेधाझा धारा 188 के 8, राजस्व नकल के 308, टी.आई (स्थगन) के 18 प्रकरणों सहित गैर खातेदारी से खातेदारी, नामान्तरण अपील, धारा 86,183 (ए) आर. टी. एक्ट इत्यादि सहित अन्य 111 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।

विश्व युवा कौशल दिवस समारोह आज

झालावाड़ 14 जुलाई/राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा जिला स्तरीय विश्व युवा कौशल दिवस समारोह 15 जुलाई को आयोजित किया जायेगा।

आरएसएलडीसी एवं सचिव कौशल विकास समिति के जिला प्रबन्धक जावेद मोहम्मद शेख ने बताया कि कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रभात फेरी प्रातः 8 बजे खेल संकुल से भवानी क्लब, प्रदर्शनी का आयोजन प्रातः 9.30 से 10.30 बजे तक ऑडिटोरियम हॉल में, लघु फिल्म प्रदर्शन प्रातः 10.30 से 1 बजे तक, पुरस्कार वितरण समारोह दोपहर 2 से सायं 4 बजे तक एवं सायं 4 से 5 बजे तक माननीय प्रधानमंत्राी महोदय द्वारा स्कील इण्डिया मिशन का सीधा प्रसारण किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि समारोह की अध्यक्षता बारां-झालावाड़ लोकसभा क्षेत्रा के सांसद श्रीमान् दुष्यंत सिंह जी करेंगे एवं विशिष्ठ अतिथि जिला प्रमुख श्रीमती टीना भील, खानपुर विधायक श्री नरेन्द्र नागर, मनोहरथाना विधायक श्री कंवरलाल मीणा, डग विधायक श्री रामचन्द्र सुनेरीवाल रहेगें।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के संबंध में बैठक आज

झालावाड़ 14 जुलाई/नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के संबंध में विचार विमर्श एवं सुझाव हेतु नगर परिषद बोर्ड की विशेष बैठक 15 जुलाई को नगर परिषद की सभापति श्रीमती उषा यादव की अध्यक्षता में कार्यालय नगर परिषद भवन में प्रातः 11 बजे आयोजित की जायेगी।

नगर परिषद के आयुक्त रामनारायण बड़गुर्जर ने बताया कि बैठक में भारत सरकार से प्राप्त 20 बिन्दूओं की प्रश्नावली के संबंध में चर्चा कर योजना तैयार की जायेगी।

बाल वाहिनी के संचालन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित

झालावाड़ 14 जुलाई/जिला प्रशासन पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा बाल-वाहिनी योजना की समीक्षा बैठक जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में राजकीय एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालक ने भाग लिया जिसमें स्कूली छात्रा-छात्राओं को लाने और ले जाने में प्रयुक्त बाल-वाहिनी के संबंध में नियम एवं प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभिभावक अपने बच्चों को बाल-वाहिनी से ही स्कूल भेजें, ऑटो रिक्शा या वैन से नहीं तथा स्कूल संचालकों को बाल-वाहिनी ही संचालित करने पर जोर दिया। उन्होनें कहा कि हम बाल-वाहिनी की चैकिंग करायेगें। रजिस्टर्ड वाहन का विशेष चैकिंग भी किया जायेगा। हर स्कूल में कार्डिनेटर होगा। हमारा प्रयास हो कि दुर्घटना नहीं हो।

स्कूली छात्रा–छात्रााओं को लाने व ले जाने में स्कूल बस में वाहन चालक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके पास पांच वर्ष पुराना परिवहन यान चलाने का लाईसेन्स होना चाहिए व अपना बैज साथ रखना होगा। चालक को सात दिवस में स्वच्छ खाकी वर्दी पहनना व वर्दी पर हिन्दी में नेमप्लेट प्रदर्शित करना होगा।

उन्होनें कहा कि निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे नहीं बिठाये इनकी सीमा तय है जैसे बाल–वाहिनी अधिकतम डेढ गुना व छात्रा–वाहिनी अधिकतम सवा गुना है। उन्होनें स्कूल संचालकों से कहा कि आप लिखित में देवें कि आपका स्कूल पूर्ण रूप से सुरक्षित है नहीं तो हम चैकिंग करायेगें। हम प्रयास करेंगे कि हमारा कन्ट्रोल चैकिंग में सुधार हो। बाल वाहिनी पर कन्ट्रोल रूम के नम्बर भी अंकित हों।

शहर में सवारियों के लिए चलने वाले ऑटो रिक्शा अपडेट हो, उनमें जाली लगी हुई हो तथा चालक खाकी वर्दी में रहें।

जिला परिवहन अधिकारी दिनेश सिंह सागर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का स्मरण कराते हुए जानकारी दी कि माननीय न्यायालय द्वारा छात्रा योजना व बाल वाहिनी योजना लागू की गई है बाल वाहिनी योजना के अर्न्तगत दस सीट से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों को परमिट जारी किये जा सकते है। स्कूली छात्रा–छात्रााओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ही बाल वाहिनी योजना की शर्तें लागू की गई। बाल वाहिनी में बच्चों को सुरक्षित लाया व ले जाया जा सकता है इस संबंध में सभी स्कूल के संचालकों को समझाईश की गई। लापरवाही से दुर्घटना घटित होती है अतः स्कूल संचालक अभिभावकों को समझाए कि अपने बच्चों को ऑटो रिक्शा व वैन से स्कूल नहीं भेजे। उन्होनें स्कूल संचालकों को बाल वाहिनी के संचालन के नियमों से अवगत कराया।

बैठक में उपअधीक्षक खुशाल सिंह राजपुरोहित ने अपने सुझाव दिये कि प्राईवेट स्कूल संचालक स्कूल प्रोग्राम व पेरेन्ट्स मींटिग वाले दिन हमें सूचना देवें ताकि हमारा प्रतिनिधी व ट्राफिक पुलिस वहां उपस्थित रहें।

इस मौके पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक, प्राईवेट स्कूल संचालक एवं पत्राकारों ने भी अपने सुझाव दिये।

––––––